रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1902] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2015/भाद्र 16, 1937
No. 1902] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2015/BHADRA 16, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

का.आ. 2437(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में लाभ-हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निदेशों की अतिरिक्त सूचना संबंधित पैरा 5(ii)(क)(1), 5(ii)(क)(2), 5(ii)(ड़), (5)(iii), 5(viii)(क), 5(viii)(ख), 5(viii)(ग) और 5(viii)(ड़) अंतरिक्ष अनुसंधान सहित रक्षा उपकरण का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू नहीं होंगे, अर्थात्:—

शर्तें:

क कंपनी के निदेशक बोर्ड ने पैरा 5(ii)(क)(1), 5(ii)(क)(2), 5(ii)(ङ), (5)(iii), 5(viii)(क), 5(viii)(ख), 5(viii)(ग) और 5(viii)(ङ), जो भी लागू हो, से संबंधित सूचना प्रकट न करने के संबंध में अपनी सम्मति दी है;

ख कंपनी तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा का भाग बनने वाली टिप्पणियों में इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट प्रदान किए जाने के तथ्य को प्रकट करेगी;

ग कंपनी विहित लेखा मानकों का अनुपालन करेगी;

घ कंपनी सुनिश्चित करेगी कि इसके वित्तीय विवरण में इसके वित्त की सही और उचित स्थिति दी जाए;

ङ कंपनी ऐसी सूचना अनुरक्षण करेगी और फाइल करेगी जो कि सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य किसी नियामक द्वारा निर्धारित की जाए या मांगी जाए या अपेक्षित हो।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2016 को या इसके बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण के लिए लागू होगी।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V-पार्ट]

अमरजीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

S.O. 2437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby, in public interest, directs that paras 5 (ii) (a) (1), 5 (ii) (a) (2), 5(ii) (e), 5 (iii), 5 (viii) (a), 5 (viii) (b), 5 (viii) (c) and 5 (viii) (e) relating to Additional Information of the General Instructions for preparation of Statement of Profit and Loss in Schedule III of the Companies Act, 2013 shall not apply to government companies producing Defence Equipment including the Space Research subject to fulfilment of following conditions, namely:—

Conditions:

A. The Board of Directors of the Company has given consent with regard to non-disclosure of information relating to paras 5(ii)(a)(1), 5(ii)(a)(2), 5(ii)(e), 5(iii), 5(viii)(a), 5(viii)(b), 5(viii)(c) and 5(viii)(e), as may be applicable;

B. The Company shall disclose in the Notes forming part of the balance sheet and profit and loss account, the fact of grant of exemption under this notification;

C. The company shall comply with the prescribed Accounting Standards;

D. The company shall ensure that its financial statements represent a true and fair state of affairs of its finances; and

E. The company shall maintain and file such information as may be prescribed or called for or required by the government or the Reserve Bank of India or any other regulator.

2. This notification shall be applicable in respect of financial statement prepared in respect of the financial years ending on or after the 31st March, 2016.

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.